बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

प्रारूप अधिसूचना

संख्या- 222241 दिनांक- 26-02-2015

बिहार महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी बेरोजगारी भत्ता नियमावली, 2014 का प्रारूप प्रकाशन

महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का.सं.-42) की धारा 32 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निम्नलिखित नियमावली, 2014 बनाती है जिसका प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा 32 की उप धारा (1) की अपेक्षानुसार इसके द्वारा प्रभावित होने वाले समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर किसी व्यक्ति से प्राप्त किसी आपत्ति एवं सुझावों पर इस अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 45 दिनों के पश्चात् विचार किया जाएगा ।

उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से कोई आपत्ति या सुझाव विर्निदिष्ट कालावधि के पूर्व, विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना के कार्यालय केकार्यालय समय में प्राप्त होने पर बिहार सरकार द्वारा विचार किया जायेगा ।

बिहार महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी बेरोजगारी भत्ता नियमावली, 2014

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ -

(1) यह नियमावली बिहार महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी बेरोजगारी भत्ता नियमावली, 2014 कही जा सकेगी ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषाऐं-

(1) इन नियमावली में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(i) "अधिनियम" से अभिप्रेत है महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005;

(ii) "अपीलीय प्राधिकारी" से अभिप्रेत है जिला कार्यक्रम समन्वयक-सह-जिला पदाधिकारी तथाइस नियमावली के नियम 7 के उप नियम (2) एवं (3) में यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य अधिकारी;

(iii) "जिला कार्यक्रम समन्वयक" से अभिप्रेत है संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी;

(iv) "अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक" से अभिप्रेत है संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ;

(v) "कार्यक्रम पदाधिकारी" से अभिप्रेत है प्रखण्ड का कार्यक्रम पदाधिकारी / प्रभारी कार्यक्रम पदाधिकारी;

(vi)"MIS" से अभिप्रेत है nrega.nic.inपर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित एवं संचालित Management Information System तथा इसमें संधारित सभी सूचनायें ;

(2) जो इस नियमों में प्रयुक्त है और अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए समानुदेशित किये गये हों।

3. बेरोजगारी भत्ते की पात्रता-

यदि अधिनियम की धारा 4(1) अधीन अधिसूचित स्कीम के अंतर्गत किसी आवेदक को उसके आवेदन की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर या अग्रिम आवेदन के मामलों में विनिर्दिष्ट की गई रोजगार मांगने की तिथि से रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, दोनों में जो पश्चातवर्त्ती हो, तो वह इस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (6) के अधीन विनिर्दिष्ट दर से तथा नियम 5 के उपनियम (6) एवं (7) के अधीन नियत सीमा के भीतर दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा ।

4. बेरोजगारी भत्ता हेतु आवेदन-

(1) MIS पर प्रणाली द्वारा सृजित बेरोजगारी भत्ता की सूचना को इस नियमावली के अधीन कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यालय में प्राप्त सूचना एवं आवेदन माना जायेगा ।

(2) MIS पर उपलब्ध सूचना के अलावे बेरोजगारी भत्ता का दावा करने वाला प्रत्येक आवेदक रोजगार प्रदाय हेतु विनिर्दिष्ट तिथि की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर, ग्राम पंचायत / कार्यक्रम पदाधिकारी को बेरोजगारी भत्ते के लिए अपना आवेदन देना होगा ।

(3) ऐसे अतिरिक्त बेरोजगारी भत्ता के लिए पृथक अवधि हेतु पृथक आवेदन देना होगा ।

(4) रोजगार की मांग हेतु प्रस्तुत आवेदन की पावती, आवेदन के साथ संलग्न करना होगा ।

(5) कार्य पर उपस्थित होने का प्रमाण / साक्ष्य, अर्थात जब आवेदक ग्राम पंचायत / कार्यक्रम अधिकारी के निर्देश पर कार्य पर उपस्थित हुआ था तब कार्य स्थल प्रभारी द्वारा उसे रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया था, संलग्न करना आवश्यक होगा, अन्यथा उसका आवेदन नामंजूर कर दिया जायेगा ।

(6) आवेदन की सुपूर्दगी के बाद सम्यक रूप से हस्ताक्षरित एवं तिथि युक्त पावती आवेदक को दी जायेगी ।

5. बेरोजगारी भत्ते की मंजूरी एवं रद्दकरण की प्रक्रिया-

(1) संबंधित जॉबकार्डधारी परिवार को MIS पर प्रणाली द्वारा गणना कर प्रदर्शित बेरोजगारी भत्ता देय होगा । कार्यक्रम पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करेंगें ।

(2) बेरोजगारी भत्ते के अन्य मामले यथा नियम 4(2) के प्रावधान के अधीन में प्राप्त आवेदन पर भी निर्णय प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा लिया जायेगा ।

(3) ग्राम पंचायत की कार्यकारणी MIS पर प्रणाली द्वारा सृजित बेरोजगारी भत्ता की सूचना तथा प्राप्त आवेदन पत्रों की छानबीन / परीक्षण करेगी और उसे अपने मंतव्य के साथ कार्यक्रम अधिकारी को 7 दिनों के भीतर भेजेगी ।

(4) MIS पर प्रणाली द्वारा सृजित बेरोजगारी भत्ता की सूचना प्रदर्शित होने / आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से 15 दिन के भीतर, बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति / अस्वीकृति के संबंध में निर्णय कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा लिया जायेगा तथा आदेश / निर्णय की प्रति आवेदक, ग्राम पंचायत एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक को अनिवार्यत: उपलब्ध कराया जायेगा ।

(5) बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति की दशा में, ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी / कार्यक्रम अधिकारी को प्रत्येक मामले में रोजगार उपलबध नहीं कराने का कारण दर्शाना आवश्यक होगा । इसे सुनिश्चित करना संबंधित पंचायत रोजगार सेवक एवं कार्यक्रम पदाधिकारी का दायित्व होगा ।

(6) स्कीम के अंतर्गत, बेरोजगारी भत्ता का भुगतान देय तिथि से उक्त वित्तीय वर्ष के अंतर्गत प्रथम 30 दिनों के लिये मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत अकुशल मजदूरी हेतु संदेय दैनिक दर की एक चौथाई की दर से तथा 30 दिनों के पश्चात् (वित्तीय वर्ष के शेष अवधि के लिये) अकुशल मजदूरी हेतु संदेय दैनिक दर का आधा दर पर देय होगा । बेरोजगारी भत्ता की देयता मात्र उतने दिनों के लिये हीं होगी जितने दिनों के लिये काम मांगा गया है और आवेदक परिवार के किसी भी सदस्य को काम उपलब्ध करा देने की तिथि से बेरोजगारी भत्ता की देयता समाप्त हो जायेगी । बेरोजगारी भत्ता की गणना, मांगे गये काम के दिनों की संख्या की सीमा के भीतर, उतने दिनों के लिये हीं की जायेगी जितने दिनों तक काम उपलब्ध नहीं करया गया हो ।

(7) बेरोजगारी भत्ते की अधिकतम सीमा- एक परिवार द्वारा मजदूरी एवं बेरोजगारी भत्ता दोनों को मिलाकर उपार्जित कुल राशि, एक वित्तीय वर्ष के दौरान कार्य के 100 दिनों की मजदूरी की कुल राशि से अधिक नहीं होगा जिसके लिये अधिनियम के अधीन रोजगार की गारंटी दी गयी है ।

(8) बेरोजगारी भत्ते का भुगतान भी उसी तरह किया जायेगा, जिस तरह मजदूरी का भुगतान किया जाता है और कार्यक्रम अधिकारी MIS द्वारा इसकी प्रविष्टि सुनिश्चित करेंगे ।

(9) कार्यक्रम अधिकारी द्वारा, बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति आदेश जारी करने की तिथि से, आवेदक को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान 15 दिनों के भीतर कर दिया जाना है । यदि इसमें कोई विलंब होता है तो आवेदक 0.05 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से मुआवजा पाने का हकदार होगा ।

6. निम्नलिखित परिस्थितियों में बेरोजगारी भत्ता देय नहीं होगा-

(क) यदि, कार्य पर उपस्थिति के लिये, कार्यक्रम पदाधिकारी / ग्राम पंचायत अथवा कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा विहित रीति से आवेदक को ससमय सूचना जारी कर दी जाती है तथा आवेदक अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य कार्य स्थल पर उपस्थित होने में विफल रहता है ।

(ख) यदि आवेदक, ग्राम पंचायत अथवा कार्यान्वयन एजेंसी की अनुमति के बिना एक सप्ताह के अधिक अवधि के लिए कार्य से लगातार अनुपस्थित रहता है या किसी माह में एक सप्ताह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है, तो आवेदक, तीन माह के लिए बेरोजगारी भत्ता का हकदार नहीं होगा, तथापि, इस अवधि के दौरान वह रोजगार हेतु आवेदन कर सकता है ।

(ग) उस अवधि हेतु जिसमें आवेदक अथवा उसके परिवार का कोई व्यस्क सदस्य जिसका नाम रोजगार कार्ड में दर्ज है, योजनान्तर्गत कार्यरत है, कार्यरत रहा है ।

(घ) वह अवधि, जिसके लिए रोजगार चाहा गया हो, समाप्त हो जाती है और आवेदक के परिवार का कोई सदस्य नियोजन के लिए सूचना दिये जाने के बावजूद नहीं आता है ।

(ङ) यदि आवेदक के परिवार के वयस्क सदस्यों ने वित्तीय वर्ष के दौरान कुल मिलाकर कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्राप्त कर लिया है ।

(च) यदि आवेदक के परिवार ने मजदूरी एवं बेरोजगारी भत्ता, दोनों को मिलाकर उतना उपार्जित कर लिया है, जो वित्तीय वर्ष के दौरान कार्य के सौ दिनों की मजदूरी के बराबर है ।

(छ) कार्यक्रम पदाधिकारी, Force Majeure के मामले यथा प्राकृतिक आपदा (अतिवृष्टि, बाढ़, भूकम्प आदि घटनाऐं जिन पर सामान्यत: किसी का नियंत्रण नहीं होता है) तथा विषम परिस्थितियों जैसे दंगा-फसाद आदि में यदि ग्राम पंचायत अथवा कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा इस अवधि में रोजगार उपलब्ध कराया जाना संभव न हो, तो राज्य शासन द्वारा यथा घोषित अवधि एवं क्षेत्र के लिये बेरोजगारी भत्ता को अस्वीकृत किया जा सकेगा ।

7. बेरोजगारी भत्ता हेतु अपीलीय प्राधिकारी-

(1) बेरोजगारी भत्ता हेतु प्रस्तुत आवेदन पर की गई कार्यवाही से संतुष्ट नहीं होने पर कोई भी आवेदक, अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष आदेश की तिथि से पन्द्रह दिनों के भीतर, अपील कर सकेगा ।

(2) कार्यक्रम अधिकारी द्वारा बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत / अस्वीकृत करने के संबंध में पारित आदेश के विरूद्ध अपील, आवेदक द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक-सह-जिला पदाधिकारी या उसकी ओर से सम्यक रूप से प्राधिकृत अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक के समक्ष की जायेगी ।

(3) जिला कार्यक्रम समन्वयक-सह-जिला पदाधिकारी अथवा अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील, प्रमंडलीय आयुक्त या इस प्रयोजन के लिए उसकी ओर से प्राधिकृत किसी अधिकारी जो संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति का हो के समक्ष की जायेगी ।

(4) अपीलीय प्राधिकारी को अपील की तिथि से 30 दिनों की वैधानिक समय सीमा के भीतर अपील का निराकरण करना अनिवार्य होगा तथा की गई कार्यवाही के बारे में लिखित में आवेदक को सूचित किया जायेगा ।

8. बेरोजगारी भत्ते के भुगतान के पर्यवेक्षण की प्रक्रिया-

(1) राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर पर बेरोजगारी भत्ता के भुगतान के पर्यवेक्षण की प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा ।

(2) जिला कार्यक्रम समन्वयक-सह-जिला पदाधिकारी बेरोजगारी भत्ते के भुगतान के पर्यवेक्षण के लिए मासिक बैठक आयोजित करेंगे ।

(3) प्राप्त एवं निष्पादित आवेदनों के संबंध में विवरण, प्रत्येक माह कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा बेरोजगारी भत्ता का भुगतान एवं रोजगार की उपलब्धता की स्थिति को स्पष्ट करते हुए राज्य सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तथा इसे (प्रतिवेदन को) राज्य सरकार, भारत सरकार को प्रस्तुत करेगी तथा MIS में भी ऑनलाईन प्रविष्टि करायेगी ।

(4) कार्यक्रम पदाधिकारी तथा पंचायत रोजगार सेवक प्रतिवेदन के आधार पर MIS में दर्ज मॉग एवं उसके विरूद्ध आवंटित किये गये कार्य पर नजर रखेंगे तथा प्रखण्ड स्तरीय साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक में इसकी समीक्षा करेंगे / करायेंगे ।

(5) MIS alerts में बेरोजगारी भत्ता के आंकड़ो का प्रतिदिन के आधार पर कार्यक्रम पदाधिकारी एवं पंचायत रोजगार सेवक अवलोकन करेंगे तथा इसकी त्वरीत निष्पादन सुनिश्चित करेंगे ।

9. विनियम बनाने की शक्ति- राज्य सरकार इस नियमों के सभी अथवा किसी प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये विनियम बना सकेगी ।

10.शंकाओं का निराकरण- यदि इस नियमावली के किसी उपबंध के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो, तो उस मामले को ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार को निर्देशित किया जायेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 222241 **पटना/** **दिनांक** 26-02-2015 24/2/15

ग्रा0वि07(आं0)-44/2013

प्रतिलिपि:- सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

सचिव

ज्ञापांक 222241 **पटना/** **दिनांक** 26-02-2015 24/2/15

ग्रा0वि07(आं0)-44/2013

प्रतिलिपि:- सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि अपने जिला अन्तर्गत सभी सार्वजनिक स्थलों पर (प्रखंड एवं पंचायत कार्यालय के सूचनापट सहित) पर प्रदर्शित कराने हेतु आदेश निर्गत कर कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत कराए) ।

सचिव

ज्ञापांक 222241 **पटना/** **दिनांक** 26-02-2015 24/2/15

ग्रा0वि07(आं0)-44/2013

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर अविलम्ब अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

सचिव

24/2/15

Government of Bihar
Rural Development Department

Draft Notification

No-...222241...   Dated-...26-02-2015...

Publication of draft of the Bihar Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Unemployment Allowance Rules, 2014.

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 32 of MahatmaGandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (No. 42 of 2005)the StateGovernment of Bihar is pleasedto make the following Rules, 2014 the draft of which ispublished as required by sub section (1) of section 32 of the above act, for theinformation of all persons likely to be affectedand is hereby notified that anyobjections and suggestions received from any person on the said draft shall be taken intoconsideration after 45 days from the date of publication of this notification in the officialGazette.

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any personbefore the specified period in the office hours in the office of the Special Secretary,Rural Development Department, Government of Bihar, Patna shall be considered by theGovernment of Bihar :-

The Bihar Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Unemployment Allowance Rules, 2014

1. Short title, extent and commencement –

(1) These rules may be called the BiharMahatma Gandhi National RuralEmployment Guarantee Unemployment Allowance Rules, 2014.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

2. Definitions -(1) In these rules, unless required otherwise in the context-

(i) "Act" means the Mahatma Gandhi National Rural EmploymentGuarantee Act 2005;

(ii) "Appellate Authority" means the District Programme Co-ordinator-cum-District Magistrate and any Other officers as specified in sub-rule (2)and (3) of rule 7 of the Rules;

(iii) "District Programme Co-ordinator" means District Magistrate ofconcerned District;

(iv) "Additional District Programme Co-ordinator" means DeputyDevelopment Commissioner-cum-Chief Executive Officer of the concerned district;

(v) "Programme Officer" means the Programme Officer/ In chargeProgramme Officer of the Block;

(vi) "Work site in-charge" means the MGNREGA functionary given thetask to take attendance on the work site;

(vii) "MIS" means the online Management Information System establishedand managed by Ministry of Rural Development, Government of Indiaat nrega.nic.in and all the informations maintained therein.

(2) The words and expressions used and not defined in these Rules, but defined inthe Act, shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. Eligibility for unemployment allowance –

If an applicant is not provided employment under the Scheme notified under Section-4(1) of the Act within fifteen days of receipt of hisapplication seeking employment or from the date on which the employment has beensought in the cases of an advance application, whichever is later, he shall be entitledto a daily unemployment allowance at the rate specified under sub rule (6) of rule 5and within the limit fixed under the sub-rule (6) and (7) of rule 5 of these Rules.

4. Application for an unemployment allowance -

(1) Information on MIS relating to unemployment allowance generated, shall be supposed to be the information and application received in office ofProgramme Officer under these Rules.

(2) Every applicant who claims additional unemployment allowance other than the information available on MIS shall have to submit his application for unemployment allowance to the Gram Panchayat/ Programme Officer within 30 days from the expiry of the date specified for providing employment.

(3) For such additional unemployment allowance separate application shall haveto be submitted for separate period.

(4) Acknowledgement of the application submitted for seeking employment shallhave to be enclosed with the application.

(5) It shall be necessary to attach, proof/ evidence of presence on the worksitei.e., when the applicant was present at work site on the instruction of GramPanchayat/ Programme Officer and employment was not provided to him/herby the Work site in-charge, with the application otherwise his/ her applicationshall be rejected.

(6) An acknowledgment duly signed with date will be given to the applicant aftersubmission of the application.

5. Procedure for sanctioning and cancellation of unemployment allowance–

(1) Aftercalculation done by, and displayed on the MIS, unemploymentallowance will be admissible to the concerned Job Card holder family.Programme Officer shall ensure it.

(2) Decision on application for additional unemployment allowance, received asper provision under rule 4 (2), shall also be taken by the Programme Officerof the Block.

(3) Executive Committee of the Gram Panchayat shall examine/ scrutinize theinformation regarding generated unemployment allowance on the MIS systemas well as the received

application, and shall send them to the ProgrammeOfficer within 7 days, with their comment.

(4) Decision regarding acceptance/ rejection of unemployment allowance shall betaken by the Programme Officer within 15 days from the display ofinformation of unemployment allowance dues on MIS system/ from the dateof submission of application in case of additional unemployment allowanceand the copy of decision/order shall be compulsorily provided to theapplicant, Gram Panchayat and District Co-ordinator.

(5) In case of non-sanction of unemployment allowance Executive Committee ofGram Panchayat/ Programme Officer shall have to show the reasons for notproviding employment allowance for each application. The concerned PanchayatRojaarSewak and Programme Officer shall be responsible to ensure the same.

(6) Under the scheme, the unemployment allowance shall be paid to theapplicant, during the financial year, from the date of admissibility ofunemployment allowance, at the rate of one fourth of the daily wages rate forunskilled manual work under MGNREGA for first 30 days and after 30 days(for balance period of the financial year) at the rate of half of the said dailywage rate. Admissibility of unemployment allowance will be such number ofdays for which work was demanded and shall cease from the date on whichwork is provided to any member of the applicant family.

(7) Maximum limit of Unemployment allowance - The total amount earned by afamily by means of labour payment and unemployment allowance shall notexceed total amount of wages of 100 working days, during a financial yearfor which employment is guaranteed under the Act.

(8) Unemployment allowance shall be paid in similar way as labour payment ismade and the Programme Officer shall ensure its entry on MIS.

(9) Unemployment allowance is to be paid to the applicant within 15 days fromthe date of issue of order by the Programme Officer. If any delay is caused,the applicant shall be entitled to receive compensation from the rate of 0.05percent per day.

6.Unemployment allowance shall not be payable under the followingcircumstances –

(a) If notice of allocation of work and presenting themselves on work site isissued in prescribed manner, on time, by the Programme Officer/GramPanchayat or Executing Agency, to the applicant and applicant or anymember of his family fails to turn up at work site.

(b) If, an applicant remain absent continuously for more than one week or isabsent for more than one week in a month without the permission of GramPanchayat/ Implementing Agency,he/she shall not be entitled to receiveunemployment allowance for three month, however, during this period he cansubmit an application for employment.

(c) In the period, the applicant or any adult member of the family whose name isentered in the employment card, has/ has been working under the scheme.

(d) The period for which applicant has sought employment, expiries and none ofthe family member come for employment in spite of communication ofinformation.

(e) If the members of the family of the applicant have obtained the employmentof minimum total 100 days during the financial year.

(f) In the matter of *force majeure* i.e., natural calamities (heavy rain, flood,earthquake etc..wherein no one has any control over such situation) and inrare condition like riots etc., when it is not possible for Gram Panchayat/Executing Agency to provide employment, the unemployment allowances asfor the period and region may rejected by the State Administration.

7. Appellate Authority for unemployment Allowances –

(1) On dissatisfaction with any proceeding taken on application submitted forunemployment allowances any applicant may appeal before the AppellateAuthority within 15 days from the date of the order.

(2) An appeal against the order passed by the Programme Officer regardingacceptance/ rejection of unemployment allowance may he submitted beforethe District Programme Coordinator-cum-District Magistrate or before theAdditional District Programme Co-ordinator, duly authorised by the DistrictProgramme Coordinator, on his/ her behalf.

(3) Second appeal against the order passed by the District ProgrammeCoordinator-cum-District Magistrate or Additional District ProgrammeCoordinator, may be filed before the Divisional Commissioner or any officerauthorized on his/ her behalf, not below the rank of Joint Secretary for thispurpose.

(4) It shall be compulsory for the Appellant Authority to dispose off the appealwithin stipulated time limit of 30 days from the date of appeal and he/sheshall inform the applicant about the proceedings in writing.

8. Procedure for supervision of payment of Unemployment Allowance-

(1) Procedure for supervision of payment of unemployment allowance willbepublished extensively at State, District and Block Level.

(2) District Programme Coordinator-cum-District Magistrate shall conductmonthly meeting for supervision of payment of Unemployment Allowance.

(3) Details regarding applications received and disposed shall he submitted,every month, by the Programme Officer to the District ProgrammeCoordinator and the District Programme Coordinator shall, in turn submit thereport with clear status of unemployment allowance payment andemployment generated to the State Government. The State Government shallsubmit the same (report) to the Government of India and will cause itentered online in MIS also.

(4) Programme Officer and PanchayatRojgarSewak shall keep watch over thedemand entered and work allotted against them in the MIS, on daily basis andshall review/ will arrange to be reviewed in the Block Level weekly reviewmeetings.

(5) Programme officer and PanchayatRojgarSewak shall peruse the figures ofunemployment allowances on MIS alerts on daily basis and shall ensurespeedy disposal of the same.

9. Power to make regulation –

The Government may make regulation to carry out all or any of the provisions ofthese Rules.

10. Removal of doubts -

If any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these rules, thematter shall be referred to the Department of Rural Development and its decisionshall be final.

By order of the Governor of Bihar

Secretary to the Government
24/2/15

Memo No 222241 Patna/ Dated 26-02-2015
ग्रा0वि07 (आं0)-44/2013

Copy to :- Secretary, Department ofLaw, Bihar, Patna for Information.

Secretary
24/2/15

Memo No 222241 Patna/ Dated 26-02-2015
ग्रा0वि07 (आं0)-44/2013

Copy to :- All District Magistrate, Bihar for Information and necessary action.

They are requested to kindly publish the above draft at all public places (Including Notice Board Block &Panchayat Offices) and Inform the Department about the same.

Secretary
24/2/15

Memo No 222241 Patna/ Dated 26-02-2015
ग्रा0वि07 (आं0)-44/2013

Copy to :- I. T. Manager, Rural Development Department, Bihar, Patna for Information and uploading it on Department's website.

Secretary
24/2/15